भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4621

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक)

प्रवासी कामगार

4621. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
डॉ जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की निगरानी करती है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए एक रजिस्टर भी रखती है और यदि हां, तो इस समय देश में अकुशल और खेतिहर मजदूरों सहित ऐसे कामगारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध् में इन प्रवासी श्रमिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा का कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में प्रवासी श्रमिकों/मजदूरों के अंतर-राज्य प्रवास और कल्याण की प्रवृत्ति की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हो?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अधीन सीआईआरएम द्वारा अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार(रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र विद्यमान है। सीआईआरएम के अधीन प्रवर्तन प्राधिकारी पंजीकृत प्रतिष्ठानों और

लाइसेंसधारी ठेकेदारों के नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारें इस अधिनियम का प्रवर्तन करने के लिए अधिदेशित हैं।

(ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। तथापि, प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में प्रवास करने का अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यवसाय/काम की खोज में किसी भी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में जाने और निवास करने के अधिकार प्रदान करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में कामगारों का प्रवास एक सतत प्रक्रिया है तथा प्रवासी कामगार काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं और ऐसा कार्यबल अवसरों (जैसे अधिक वेतन, काम की अवधि और निरंतरता) आदि के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित भी होता रहता है तथा इसी कारण, प्रवासी श्रम कार्यबल का रिकार्ड/आंकड़े रखना व्यवहार्य नहीं है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार कार्यबल का आकार 482 मिलियन (48.2 करोड़) व्यक्ति था तथा बाह्य गणन (एक्सट्रपलेशन) के आधार पर, यह आंकड़ा 2016 में 500 मिलियन (50 करोड़) से अधिक हो गया होगा। यदि कार्यबल में प्रवासियों का भाग अनुमानत: 20% भी होता है, तो 2016 में समग्र रूप से प्रवासी कार्यबल का आकार 100 मिलियन (10 करोड़) से अधिक होने का अनुमान किया जा सकता है।

(ग) से (ङ): केन्द्रीय सरकार ने प्रवासी कामगारों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, केन्द्रीय सरकार ने अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 का अधिनियमन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, निवास-स्थान, चिकित्सा सुविधाओं तथा रक्षात्मक वस्त्र आदि का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) नामक अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन कर रही है।

******